मांडलगढ़ में सरकारी भूमि पर चाइना क्ले का खनन, ग्रामीणों में आक्रोश

ग्रामीणों ने लीजधारक पर नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया

मांडलगढ़, (निसं)। मांडलगढ़ क्षेत्र में मांगठला पंचायत के साईपीपला गांव की सरहद में करीब 700 बीघा सरकारी भूमि में से 30 बीघा क्षेत्र की चाइनाक्ले खनिज लीज आवंटन और बिना प्रशासनिक स्वीकृति के खनन कार्य को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। आरोप है कि लीजधारक ने बिना विभागीय सीमांकन और बिना किसी पूर्व सूचना के ही खनन कार्य शुरू कर दिया, जिससे ग्रामीणों में भारी नाराजगी और अवैध खनन की आशंका गहराने लगी है। इसको लेकर ग्रामीणों ने उच्चाधिकारियों को शिकायत कर खनन कार्य बंद करने की मांग की है।

खनन के दौरान बड़े-बड़े हरे पेड़ों को धराशायी कर दिया गया।

स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि साईपीपला की सरहद की आराजी नम्बर 1/7 जो करीब 700 बीघा का क्षेत्रफल में है, उक्त भूमि में वर्ष 2014 में 4.94 हेक्टेयर की भीलवाड़ा की एक फर्म को चाइनाक्ले मिनरल की लीज आवंटन हुई थी। उक्त लीज को 25 मई 2025 को गंगरार के 4 साझेदारों की एक कम्पनी की फर्म ने खरीद कर हस्तांतरण करा लिया। लीज खरीददार ने साईपीपला की उक्त आराजी के 700 बीघा क्षेत्र के एक हिस्से में अक्टूबर 2025 में फोकलेन मशीनों से खनन कार्य शुरू कर दिया, इस दौरान लीज धारक ने मौके पर न तो लीज से संबंधित कोई प्रदर्शन बोर्ड लगाया है और न ही खनन नियमों का पालन किया जा रहा है। नियमानुसार खनन क्षेत्र की स्पष्ट सीमाएं चिन्हित होना, सुरक्षा मानकों का पालन और सूचना बोर्ड लगाना अनिवार्य होता है, लेकिन यहां इन सभी नियमों को दरकिनार कर रखा है। वहीं खनन के दौरान खेजड़ी और अन्य प्रजाति के बड़े-बड़े कई हरे वृक्षों को उखाड़ कर फेंक दिया गया है, सरकारी भूमि में करीब 3 किलोमीटर लम्बाई का रास्ता बनाने के दौरान भी हरे पेड़ों को धराशायी कर दिया गया है। रास्ते में ओवरलोड डम्पर चलने से व धूल मिट्टी के गुब्बार उड़ने से किसानों की फसलों व वनस्पति को नुकसान पहुंच रहा है।

आरोप है कि खनन ठेकेदार द्वारा चाइनाक्ले खनन कर रोजाना 15 से 20 ओवरलोड डम्पर माण्डलगढ़ थाना क्षेत्र से होते हुए काछोला क्षेत्र की ग्राइंडिंग फैक्ट्रियों में जा रहे हैं, जिससे डामर की सड़के टूट गई है। खदान से गत 3 माह में हजारों टन चाइना क्ले मिनरल का खनन किया जा चुका है। वहीं डम्परों के रवन्ना भी काछोला के एक धर्मकांटे पर काटे जा रहे है, ऐसे में रवन्ना जारी करने में गड़बड़ी होने की आशंका है। खदान से बिना रवन्ना काछोला तक चाइनाक्ले से भरे डम्पर रोज जा रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि लीज आवंटन की प्रक्रिया में साईपीपला की बिलानाम भूमि की रिपोर्टिंग राजस्व विभाग द्वारा की गई, लेकिन पंजिकृत लीज हस्तांतरण पत्र में लीजधारक ने लीज आवंटन क्षेत्र देवली की नूंण तहसील माण्डलगढ़ अंकित किया है, जिसको लेकर चाइनाक्ले की लीज आवंटन का संशय बना हुआ है।

ग्रामीणों का आरोप है कि सीमांकन के अभाव में खनन तय क्षेत्र 4.94 हेक्टेयर से बाहर भी किया जा सकता है, जिससे शेष सरकारी भूमि को नुकसान पहुंचने की पूरी आशंका है। वहीं, पर्यावरण और भू-सुरक्षा से जुड़े नियमों की अनदेखी भी सामने आ रही है। ग्रामीणों ने मांग की है कि तत्काल सीमांकन कराया जाए, खनन कार्य की जांच हो और यदि नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो खनन कार्य पर रोक लगाकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे, जबकि उधर लीज संचालक का कहना हैं कि नियमानुसार आवंटित लीज में ही खनन किया जा रहा हैं।

इस मामले को लेकर मांगठला पंचायत के पटवारी बनेसिंह ने बताया कि साईपीपला की आराजी संख्या 1/7 की 700 बीघा भूमि के एक हिस्से में खनन कार्य होने की शिकायत मिली हैं, मौक़े पर जांच के दौरान संचालकों ने मैसर्स अभिनन्दन मिनरल रिसोर्सेज के नाम चाइनाक्ले खनन लीज होने की बात बताई, लेकिन लीज संचालन से पूर्व मेरे द्वारा सीमांकन नहीं कराया गया है, लीजधारक से दस्तावेज मंगाए जा रहे है।

बिजौलियां खनिज विभाग के फोरमैन गिरिराज मीणा का कहना है कि साईपीपला में चाइनाक्ले मिनरल की एक लीज करीब एक दशक पूर्व आवंटित की गई थी, लीजधारक द्वारा खनन कार्य शुरू करने की सूचना विभाग को नहीं मिली है, मौक़े पर जाकर जांच की जाएगी।

भीलवाड़ा में गुटखा व्यापारी से हुई लूट के पांच आरोपी गिरफ्तार

भीलवाड़ा, (निसं)। शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित शास्त्री नगर में गुटखा व्यापारी से हुई 4 लाख रुपये और स्कूटी लूट के सनसनीखेज मामले से पुलिस ने पर्दा उठा दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पूरी डकैती का मास्टरमाइंड कोई पेशेवर अपराधी नहीं, बल्कि व्यापारी की दुकान पर काम कर चुका उनका ही पूर्व सेल्समैन निकला है। पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार पांचों आरोपियों की घटनास्थल पर पैदल परेड भी कराई।

■ **लूट का मास्टरमाइंड व्यापारी की दुकान पर काम कर चुका सेल्समैन निकला**

शहर के शास्त्री नगर में 12 जनवरी की रात गुटखा व्यापारी नारायण दास सिंधी के साथ हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस वारदात का मास्टरमाइंड 21 साल का मोहित सिंह राजपूत निकला, जिसे पुलिस ने खेतों में दबिश देकर गिरफ्तार किया। पुलिस जांच में एक चौंकाने वाली कहानी सामने आई है। मुख्य आरोपी मोहित, पीड़ित व्यापारी की दुकान पर साल भर पहले सेल्समैन की नौकरी करता था। दुकान पर चोरी पकड़े जाने पर व्यापारी ने उसे नौकरी से निकाल दिया था। नौकरी के दौरान मोहित को यह बखूबी पता चल गया था कि व्यापारी प्रतिदिन दिनभर का कैश लेकर अकेले स्कूटी पर घर जाते हैं। इसी जानकारी का फायदा उठाकर उसने बदला लेने और जल्दी अमीर बनने की साजिश रची। पुलिस के अनुसार, मोहित ने स्वीकार किया है कि उसने फरवरी 2025 में भी इसी व्यापारी को लूटने का असफल प्रयास किया था। इस बार उसने बड़ी रकम का लालच देकर अपने दोस्तों को साथ मिलाया। घटना वाली रात 12 जनवरी को जब व्यापारी घर पहुँच रहे थे, तभी दो बाइक पर आए 4-5 नकाबपोश बदमाशों ने उन पर हमला किया और 4 लाख रुपये से भरी स्कूटी छीनकर फरार हो गए।

भीलवाड़ा एसपी धर्मेंद्र सिंह ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए अज्ञात अपराधियों पर 20 हजार का इनाम घोषित किया था। कोतवाली थानाधिकारी शिवराज गुर्जर के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पहले चार आरोपियों काना, विक्रम, राजू और किशन को गिरफ्तार किया। उनकी निशानदेही पर अब मुख्य सरगना मोहित सिंह भी पुलिस की गिरफ्त में है। आज पुलिस ने अपराधियों का जुलूस निकालते हुए घटनास्थल पर उनकी पैदल परेड कराई। फिलहाल मुख्य आरोपी सहित पांचों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस इनसे सघन पूछताछ कर रही है और लूटी गई नकदी बरामद करने के प्रयास जारी हैं।

सांवलियाजी सेठ भंडार : चौथे चरण से 4.59 करोड़ रुपये प्राप्त हुए

मंदिर कर्मचारियों ने भंडार की शेष राशि की गिनती की।

मंडफिया, (निसं)। भगवान श्री सांवलिया सेठ मंडफिया के दरबार में 17 जनवरी चतुर्दशी को खोले गए भंडार की शेष रही राशि की गिनती बुधवार को मंदिर बोर्ड अध्यक्ष हजारी दास वैष्णव उपस्थिति में चौथे चरण में हुई। चौथे चरण में भंडार से 4 करोड़ 59 लाख 15 हजार रुपए नगद प्राप्त हुए। इससे पूर्व तीन चरणों में 22 करोड़ 22 लाख 50 हजार रुपए नगद प्राप्त हुए थे। चारों चरणों को मिलाकर 26 करोड़ 81 लाख 65 हजार रुपए नगद प्राप्त हुए हैं। पांचवें चरण की गिनती गुरुवार को होगी। भंडार गिनती में मंदिर बोर्ड अध्यक्ष हजारी दास वैष्णव, सदस्य किशन लाल अहीर रामलाल गुर्जर, पवन तिवारी, हरिराम गाडरी, लेखाधिकारी राजेंद्र सिंह, मंदिर प्रभारी भैरूगिरी गोस्वामी, वरिष्ठ सहायक कालू लाल तेली सहित मंदिर व बैंकों के कर्मचारी उपस्थित थे।

दहेज के लिए पत्नी की हत्या, आरोपी को दस साल की सजा सुनाई

अलवर, (निसं)। दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने के मामले में अलवर की एडीजे कोर्ट संख्या-2 ने आरोपी पति को दोषी मानते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।

सरकारी वकील महेश मीणा ने बताया कि मामला 5 दिसंबर 2021 की रात का है। अलवर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र के गांव बंजिरका निवासी आरोपी शाकिर ने दहेज की मांग पूरी न होने पर अपनी पत्नी बस्सा की चुन्नी से गला घोंटकर हत्या कर दी थी। हत्या से पहले आरोपी ने मृतका के साथ मारपीट भी की थी। हत्या के बाद आरोपी ने शक से बचने के लिए मृतका के गले से सोने की हंसली निकाल ली और घटना को लूटपाट का रूप देने का प्रयास किया। सुबह होते ही उसने यह कहकर परिवार और गांव वालों को गुमराह किया कि घर में लूट की घटना हुई है। इतना ही नहीं, मृतका के पीहर पक्ष को सूचना दिए बिना ही अंतिम संस्कार के लिए मिट्टी देने की तैयारी भी कर ली गई। इसी दौरान गांव के एक व्यक्ति ने मृतका के पिता कल्लू खां निवासी महुआ खुर्द को फोन कर बेटी की मौत की जानकारी दी। सूचना मिलते ही पिता मौके पर पहुंचे और शव पर चोटों के निशान देखकर उन्हें संदेह हुआ। इसके बाद उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई और बताया कि शादी के समय करीब 10 लाख रुपए खर्च करने के बावजूद आरोपी लगातार 80 हजार रुपए नकद और एक बाइक की मांग कर रहा था।

पुलिस जांच में सामने आया कि हत्या आरोपी पति शाकिर ने ही की थी, क्योंकि पुलिस ने आरोपी का मोबाइल ट्रेस किया तो पता लगा कि हत्या के वक्त आरोपी की लोकेशन वहीं थी। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से 23 गवाह और 31 दस्तावेज पेश किए गए।

सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी शाकिर को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। आरोपी और मृतका की शादी घटना से करीब एक साल पहले ही हुई थी।

मकान में लगी भीषण आग

जयपुर। आदर्श नगर थाना इलाके में स्थित महंतो की बगीची के पास किन्नर गुरु मुन्नी बाई के मकान में अचानक से भीषण आग लग गई। जिसके बाद पूरे मोहल्ले में अफरा-तफरी मच गई। मकान में से धुंआ निकलता देख पड़ोसी ने मुन्नी बाई व पुलिस को आग लगने की सूचना दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। लेकिन इससे पहले ही लाखों रुपयों का सामान आग की भेंट चढ़ गया। गनीमत रही कि आग में पांच सौ के नोटों की गड्डी और सोने-चांदी के कीमती आभूषण आग की भेंट चढ़ने से बच गए। वहीं दमकल विभाग की सूझबुझ से घर में रखे तीन सिलेंडर भी आग की चपेट में आने से बच गए।

वन विभाग की टीम ने अवैध आरा मशीन सीज़ कर पिकअप जब्त की

नवलगढ़, (निसं)। वन विभाग की टीम ने झुंझुनूं डीएफओ काविया पी.बी. एवं एसीएफ हरेंद्र भाकर के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई करते हुए मांडासी गांव में अवैध आरा मशीन पर कार्रवाई कर उसे सीज किया है। नवलगढ़ रेंजर अमित कुमार सैनी बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि सोटवारा सड़क मार्ग पर मांडासी निवासी महेंद्र सिंह पुत्र रामकुमार के प्लाट में अवैध आरा मशीन का संचालन किया जा रहा है। मौके पर जाकर देखा तो आरा मशीन का संचालन देवराला निवासी तैयूब अली पुत्र अयुब खां द्वारा किया जा रहा था। राजस्थान वन उपज (आरा मीलों की स्थापना एवं नियमन) 1983 का उल्लंघन करने पर विभागीय नियमानुसार कार्यवाही कर आरा मशीन तथा मौके पर मिली लगभग 95 क्विंटल लकड़ी को सीज किया गया। लकड़ी परिवहन करने में एक पिकअप को भी जब्त कर किया गया। कार्यवाही टीम में क्षेत्रीय वन अधिकारी अमित कुमार सैनी के अलावा सहायक वनपाल नरेंद्रसिंह, वनरक्षक सुनिल कुमार, सतीश कुमार, अनिता सारण एवं हंसा मीणा इत्यादि शामिल रहे।

"एसआईआर व मनरेगा को लेकर कांग्रेस भ्रम फैला रही है"

जोधपुर, (कासं)। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस पार्टी की ओर से एसआईआर और मनरेगा का नाम बदलने को लेकर किए जा रहे विरोध पर प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि एसआईआर व मनरेगा को लेकर कांग्रेस आमजन में भ्रम फैला रही है। यह बात केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए कही।

शेखावत ने कहा कि कांग्रेस के पास मुद्दे ही नहीं बचे हैं। लगातार एक के बाद एक चुनाव में जनता ने उनको उनकी हकीकत से रूबरू करवा दिया। हाल ही में हुए महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में भी यही हाल दिखा। वहां कांग्रेस माइक्रोस्कोप से ढूंढने पर नजर आती है, इसलिए कांग्रेस नॉन इश्यूज को इश्यू बनकर खुद को प्रासंगिक बनाए रखने की कोशिश कर रही है। शेखावत ने कहा कि झूठ के आसरे भ्रम खड़ा कर लोगों के बीच इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाने के प्रयास कांग्रेस की ओर से किया जा रहे हैं, लेकिन हम सबने देखा है कि हर ऐसे प्रयास में कांग्रेस असफल हुई है। जनता ने उनको नकार दिया है। जिसका दंड जनता ने उनको दिया है।

उन्होंने कहा कि नरेगा की जो व्यवस्था है जिसमें पिछले 25 वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों का परिवेश बदला है। ऐसे में निश्चित रूप से उसमें बदलाव की आवश्यकता थी, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार की शिकायतें हर प्रांत से आती थी। करीब 11 लाख शिकायतें इसको लेकर भारत सरकार के पास पहुंची थी। इसलिए इसमें बदलाव जरूरी था। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो कभी एसआईआर, कभी मनरेगा तो कभी जी रामजी को मुद्दा बनाती है। झूठ के सहारे खुद को जिंदा रखने की कोशिश कांग्रेस कर रही है।

एनजीटी ने पौधारोपण एवं गौशाला प्रबंधन पर सख्ती दिखाई

भीलवाड़ा, (निसं)। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) सेंट्रल जोनल बेंच भोपाल ने भीलवाड़ा में पौधारोपण, गौशाला संचालन, लावारिस पशुओं की समस्या और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। यह आदेश बाबूलाल जाजू के एक्जीक्यूशन आवेदन संख्या 01/2026 पर पारित किया गया। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति श्यो कुमार सिंह (न्यायिक सदस्य) एवं ईश्वर सिंह (विशेषज्ञ सदस्य) की पीठ ने की। याचिकाकर्ता बाबूलाल जाजू की ओर से अधिवक्ता लोकेन्द्र सिंह कच्छावा ने पैरवी की। एनजीटी ने वर्ष 2017 में पारित आदेशों की जिंदल सॉ लिमिटेड और नगर निगम द्वारा पालना नहीं करने को गंभीर माना है। एनजीटी ने जिला कलैक्टर एवं नगर निगम, भीलवाड़ा को निर्देश दिए कि गौशाला को नगर निगम के प्रबंधन में लेने की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जाए तथा इसके लिए आवश्यक अधिसूचना जारी की जाए। एनजीटी ने यह भी स्पष्ट किया कि भीलवाड़ा शहर में खुले घूम रहे लावारिस पशु यातायात अवरोध, सड़क दुर्घटनाओं एवं वायु प्रदूषण का कारण बन रहे हैं। ऐसे पशुओं को गोशाला में भेजकर शहर को आवारा पशु मुक्त करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाए।

■ **जिंदल, जिला कलैक्टर एवं नगर निगम को नोटिस जारी किया**

एनजीटी ने आदेश में यह भी कहा कि जिंदल सॉ लिमिटेड अपनी सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत गौशाला के प्रशासन एवं रख-रखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। साथ ही जिंदल सॉ लिमिटेड को सौंपी गई 400 बीघा भूमि एवं गौशाला परिसर में व्यापक वृक्षारोपण करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे पशुओं को छाया और चारे की सुविधा मिल सके। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर अधिकरण ने नगर निगम की लापरवाही पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि भीलवाड़ा में क्रय किया गया डिकम्पोज़िशन प्लांट लंबे समय से बंद पड़ा है। यह स्थिति ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के विपरीत है। एनजीटी ने जिला कलैक्टर एवं नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिए कि वे संयुक्त रूप से समीक्षा कर इस संयंत्र को शीघ्र चालू करें तथा किए गए प्रयासों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें। एनजीटी ने जिला कलैक्टर, जिंदल सॉ लिमिटेड एवं नगर निगम को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने एवं छह सप्ताह में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

अलवर में भू माफिया नदी बहाव क्षेत्र में कर रहे अवैध भराव

अलवर के मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र की दादर ग्राम पंचायत के बस स्टैंड के पास जयसमंद बांध ओवरफ्लो क्षेत्र में खुलेआम मिट्टी भरी जा रही है।

अलवर, (निसं)। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र की दादर ग्राम पंचायत में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। दादर बस स्टैंड के समीप जयसमंद बांध से ओवरफ्लो होकर बहने वाली नदी के बहाव क्षेत्र में खुलेआम मिट्टी भराव किया जा रहा है। यह क्षेत्र नदी-नाला गैर मुमकिन एवं अब्दुल रहमान एक्ट के अंतर्गत आता है, जिसमें खातेदार या कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का निर्माण या गतिविधि नहीं कर सकता। ग्रामीणों का आरोप है कि हाइवे स्थित पुलिया के नीचे एवं दोनों ओर नदी बहाव क्षेत्र में लगातार मिट्टी डाली जा रही है, जिससे प्राकृतिक जल प्रवाह अवरुद्ध हो रहा है। धीरे-धीरे इस क्षेत्र को समतल कर कब्जे में लेने की साजिश रची जा रही है, ताकि भविष्य में यहां अवैध निर्माण किया जा सके।

ग्रामीण वीर सिंह ने बताया कि खसरा नंबर 80627 की आकृति नदीनुमा है और यह अब्दुल रहमान श्रेणी में दर्ज है। ऐसे क्षेत्र में न तो कृषि कार्य किया जा सकता है और न ही किसी प्रकार का निर्माण वैध है, इसके बावजूद नियमों को ताक पर रखकर भराव जारी है। ग्रामीणों का कहना है कि इस मामले की शिकायत पूर्व में भी कई बार रात्रि चौपाल एवं लिखित रूप में एसडीएम कार्यालय में दी जा चुकी है, लेकिन हर बार खानापूर्ति कर मामले को दबा दिया गया। इससे अधिकारियों और भू-माफियाओं की मिलीभगत की आशंका गहराती जा रही है। ग्रामीणों ने मांग की है कि करोड़ों रुपये की सरकारी संपत्ति को बचाने के लिए इस मामले की तत्काल जांच कर अवैध भराव पर रोक लगाई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

इस संबंध में जब मालाखेड़ा एसडीएम नवज्योति कांवरिया से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मैं इस मामले में तत्काल कार्रवाई करूंगी। आप लोग खबर प्रकाशित कीजिए, इसके बाद संबंधित को नोटिस जारी किया जाएगा। वहीं तहसीलदार धीरेंद्र कर्दम से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया।

विराटनगर में दुकान में लगी आग से लाखों का सामान जला

पावटा, (निसं)। विराटनगर क्षेत्र के मेड कस्बे के मनियारों के मोहल्ले में एक जनरल स्टोर में अज्ञात अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। आग की लपटें उठती देख आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और बिना देर किए बाल्टियों व पाइप के जरिए पानी डालकर आग बुझाने में जुट गए। लोगों की तत्परता से समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया।

■ **आसपास के लोगों ने पानी डालकर आग पर पाया काबू**

विराटनगर क्षेत्र के मेड कस्बे के मनियारों के मोहल्ले में दुकान में आग लग गई।

दुकान मालिक अल्लाह नूर ने बताया कि सुबह दुकान के पड़ोसी ने बताया कि आपकी दुकान से धुआं निकल रहा है। वह तुरंत दुकान पर आए और दुकान को खोलकर देखा तो दुकान के अंदर आग लगी हुई थी। आग लगने की इस घटना मे 55 हजार रुपए नगद, दुकान में रखा सामान, किराना सामग्री, प्लास्टिक का सामान व अन्य घरेलू उपयोग की वस्तुएं जलकर राख हो गईं। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार आग से दुकान मालिक को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। हालांकि, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। शॉर्ट सर्किट को आग लगने का संभावित कारण माना जा रहा है। सूचना पर विराटनगर थाना पुलिस व प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी लेकर जांच शुरू की। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो आसपास की दुकानों व मकानों को भी भारी नुकसान हो सकता था।

श्री रामदेव पशु मेले में रौनक छाई

नागौर, (निसं)। जिला मुख्यालय पर मानासर के पास लगने वाले विश्व विख्यात पशु मेले में बुधवार को तीसरे दिन 624 पशु मेले में पहुंचे, जिसमें सर्वाधिक ऊंटों की संख्या 375, गौवंश के 362, अश्व 49 एवं भैंसवंश के 8 पशुधन मेले में पहुंचे। मेला चौकी प्रभारी डॉ. सुशील मीणा ने बताया कि मेले में अब तक 741 ऊंट, 563 बैल, 58 अश्व व 13 भैंस वंश सहित कुल 1375 पशु पहुंच चुके हैं। मेले में पशुओं के साथ आए पशुपालकों, व्यापारियों व दुकानदारों से मेले की भव्यता बढ़ने लगी है। उन्होंने बताया कि मेले की शुरुआत के साथ ही प्रतिदिन पशुधन की बढ़ती संख्या के साथ मेले में रौनक आने लगी है। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक व मेला प्रभारी डॉ. महेश कुमार मीणा ने बताया कि मेले में प्रवेश के स्थानों पर सात चौकियों की स्थापना की गई है। 19 जनवरी से शुरू हुआ यह पशु मेला 1 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गुरुवार से सफेद चिट्ठी आरंभ की जाएगी तथा शुक्रवार को मेले में आए पशुओं के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे।